न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास जगदीश प्रसाद गौड़, आर.ए.एस

प्रकरण सं. 180/13/टीआई

1. राजेन्द्र कुमार
2. महेश कुमार

पुत्रगण बदरीराम जाति जाट निवासीगण ग्राम श्यामपुरा(कुली) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर

प्रार्थीगण

ब ना म

1. बदरीराम पुत्र श्री नानूराम जाति जाट निवासी ग्राम श्यामपुरा तन कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
2. पटवारी, पटवार हल्का, कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
3. उप पंजीयक, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर
4. तहसीलदार, दांतारामगढ जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति—

1. श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील प्रार्थीगण की ओर से

निर्णय　　　　　　　　दिनांक— 24.04.2014

1. आवेदन के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदकगण एवं अनावेदक सं. 1 की संयुक्त कब्जे काश्तशुदा कृषि भूमियां खसरा नं. 197 रकबा 0.54 है0, 200 रकबा 0.35 है0, 201/380 रकबा 0.11 है., 203 रकबा 0.75 है0, 204 रकबा 1.37 है. किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 में से हि. 1/2 व भूमि ख0नं. 211 रकबा 0.01 है0, 212 रकबा 0.40 है0, 213 रकबा 0.56 है0, 214 रकबा 0.22 है0, 216 रकबा 0.35 है0, 217 रकबा 0.52 है0, 218 रकबा 0.75 है0 व ख.नं. 219 रकबा 0.10 है0 किता 10 कुल रकबा 2.91 है0 में से 1/4 एवं खसरा नं. 120/365 रकबा 0.26 है0, 122/364 रकबा 0.07 है0, 124/379 रकबा 0.10 है0, 201 रकबा 0.52 है0, 202 रकबा 0.24 है0, 203/381 रकबा 0.26 है0, 204/382 रकबा 0.14 है0, 207 रकबा 0.23 है0, 208 रकबा 1.95 है0, 212/366 रकबा 0.16 है0 एवं ख.नं. 300/352/388 रकबा 0.26 है0 किता 13 कुल रकबा 7.73 है0 में हि. 2/15 में से 1/18 वाके ग्राम श्यामपुरा प.मं. कुली तहसील

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। आवेदकगण एवं उसके परिवार की वंशावली इस प्रकार है–

नानूराम(मृतक)

↓

बदरीराम (प्रति. सं. 1)

↓

राजेन्द्र कुमार(वादी सं. 1) महेश कुमार (वादी सं. 2)

उपरोक्त वर्णित वंशावली के अनुसार विवादित कृषि भूमियों में अनावेदक सं. 1 के नाम से खातेदारी शुदा भूमि, आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 की संयुक्त रूप से पैत्रिक कजे, काश्तशुदा है। उक्त अनावेदक सं. 1, आवेदकगण का पिता है तथा उपरोक्त भूमियों की खातेदारी अनावेदक सं. 1 के नाम से रिकार्ड में दर्ज है जो कि अनावेदक सं. 1 (आवेदकगण के पिता) को उसके पिता नानूराम से विरासत से प्राप्त हुई है इस प्रकार पैत्रिक संपदायें है जिनको आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 मौके पर बाहमी बंटवारे के अनुसार काबिज होकर अलग अलग सींव नींव कायम कर काश्त करते चले आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदारी अभी अनावेदक सं. 1 बदरीराम के नाम से ही चली आ रही है। अनावेदक सं. 1, अन्य भूमाफिया प्रवृति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों से मिला हुआ है जो कि आपस में साजिश करके उपरोक्त वर्णित पैत्रिक आराजियात को बिना वादी की सहमति व स्वीकृति के ही किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर वादी के हिस्से को खुर्द बुर्द करने व उनके उपयोग उपभोग में दखलंदाजी कर बेदखल करने व आवेदकगण को उसके हिस्से से महरूम करना चाहते है जबकि उपरोक्त वर्णित भूमियां पैत्रिक है तथा अनावेदक सं. 1 को बिना आवेदकगण की सहमति के किसी भी प्रकार से अन्यत्र हस्तांतरित करने व आवेदकगण को उनके हिस्से से वंचित करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है। भूमाफिया प्रवृति के लोग अनावेदक सं. 1 को अपने प्रभाव में लेकर अनावेदक सं. 1 के नाम से दर्ज खातेदारीशुदा उपरोक्त भूमियो का हस्तांतरण प्रलेख अनावेदक सं. 2 से अपने पक्ष में करवाकर राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवाने पर आमादा है जबकि मौके पर अनावेदक सं. 1 का मात्र 1/2 हिस्से पर ही कब्जा व काश्त है। आवेदकगण व अनावेदक सं. 1 अपने अपने हिस्से 1/3, 1/3 के मुताबिक मौके पर कदीम से काबिज काश्त है। यदि अनावेदक सं. 1 दीगर लोगों से साजिस करके वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित विवादास्पद पैत्रिक संपदा को बिना आवेदकगण की सहमति के अन्यत्र रहन, बेचान एवं हस्तांतरित कर आवेदकगण को जबरन बेदखल करने, भूमियों की सींव नींव खुर्द कर मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने में कामयाब हो गया तो इस कदर आवेदकगण को घोर असुविधा व अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी तलाफी भविष्य में कानून द्वारा भरपाई किया जाना किसी भी प्रकार से संभव नहीं होगी तथा आवेदकगण

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

व अनावेदक सं. 1 आपस में पिता–पुत्र है जिनके मध्य अनावश्यक मुकदमेंबाजी को प्रोत्साहन मिलेगा व आवेदकगण के पैत्रिक सांपतिक अधिकारों का हनन होगा। फलस्वरूप आवेदकगण को वाद पत्र की मद सं. 1 में वर्णित आराजियात में से 2/3 पैत्रिक हक व हिस्से का संयुक्त रूप से काबिज खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जाकर अनावेदक को वर्णित पैत्रिक कृषि भूमियों को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर आवेदकगण के उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने, किसी भी प्रकार का हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व करवाने, बिना आवेदकगण की सहमति व स्वीकृति के मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व करवाने से जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना प्रार्थनीय है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन आवेदकगण के पक्ष में होने से विवादास्पद संपदा को अनावेदकगण द्वारा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द कर उपयोग उपभोग में दखलंदाजी करने से अपूर्तनीय क्षति भी आवेदकगण को ही होती है। अतः आवेदन पत्र पेश कर निवेदन है कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादास्पद पैत्रिक संपदा की खातेदारी में 2/3 हिस्से की खातेदारी आवेदकगण के नाम दर्ज होने तक बिना आवेदकगण की सहमति व स्वीकृति के किसी भी प्रकार से रहन, बेचान एवं हस्तांतरित करने, हस्तांतरण प्रलेख तस्दीक करने व करवाने, किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने, सींव नींव तोड़ फोड़ कर मौका सूरत व राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करने व अन्य किसी भी प्रकार से आवेदकगण के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर बेदखल करने से मय परिजन एजेंट आदि बाज रहे।

2. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 बावजूद तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने बहस के दौरान आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आवेदन की मद सं. 1 में वर्णित विवादित आराजियात भूमि ख.नं. 197, 200, 201/380, 203, 204 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 में से 1/2 हि. एवं ख.नं. 211 ता 214, 216 ता 219 किता 8 कुल रकबा 2.91 है0 में से 1/4 हि. तथा ख.नं. 120/365, 122/364, 124/379, 201, 202, 203/381, 204/382, 207, 208, 209/354, 210, 212/366, 300/352/388 किता 13 कुल रकबा 7.73 है0 में हि. 2/15 में से 1/18 हि. वाके ग्राम श्यामपुरा प.मं. कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में आवेदकगण एवं अप्रार्थी सं. 1 के कब्जे काश्त में है। उक्त भूमि पैत्रिक है तथा वर्तमान में खातेदारी अप्रार्थी सं. 1 के नाम से है। विवादित आराजियात अप्रार्थी सं. 1 बिना प्रार्थीगण की सहमति से दीगर व्यक्तियों को बेचान कानूनन नहीं कर सकते है। प्रथमदृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थी सं. 1 बाला बाला अपनी खातेदारी की आड़ में बेचान करने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द फरमाया जावें।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

4. हमने प्रार्थीगण के योग्य अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम श्यामपुरा प.मं. कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की जमाबंदी संवत् 2066–69 खाता सं. 48 किता 5 कुल रकबा 3.12 में हि. 1/2, खाता सं. 34 किता 8 कुल रकबा 2.91 है0 में हि. 1/4 एवं खाता सं. 30 किता 13 कुल रकबा 7.73 है. में हि. 2/15 में से 1/18 हि. अप्रार्थी सं. 1 के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमियां प्रार्थीगण के कथनानुसार पैत्रिक भूमियां है जो प्रार्थीगण के बिना सहमति के खातेदारी की आड़ में अप्रार्थी सं. 1 बेचान नहीं कर सकता है। चूंकि प्रथमदृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा खातेदारी की आड़ में अपने हिस्से की भूमि का बेचान दीगर व्यक्तियों को करने से अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी। अतः अप्रार्थीगण को तादौराने दावा पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजियात ख.नं. 197, 200, 201/380, 203, 204 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 में से 1/2 हि. एवं ख.नं. 211 ता 214, 216 ता 219 किता 8 कुल रकबा 2.91 है0 में से 1/4 हि. तथा ख.नं. 120/365, 122/364, 124/379, 201, 202, 203/381, 204/382, 207, 208, 209/354, 210, 212/366, 300/352/388 किता 13 कुल रकबा 7.73 है0 में हि. 2/15 में से 1/18 हि. वाके ग्राम श्यामपुरा प.मं. कुली तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की मौके एंव रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। मिसल बाद तकमील कार्यवाही मूल दावा के संलग्न हो।
5. यह निर्णय आज दिनांक 24.04.2014 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ